

वर्तमान समय में स्वतंत्रताकालीन प्रतिबंधित साहित्य की स्थिति

सुशील कुमार राम

(पी-एच.डी. शोधार्थी, काज़ी नज़रुल विश्वविद्यालय)

मैं हूँ प्रतिबंधित हिंदुस्तानी साहित्य
जिसने हिंदुस्तानियों के बीच जाकर
क्रांति, संघर्ष, एकता, भाईचारा
इत्यादि की भावना को जगाया
भारतीयों को अंग्रेजों से लोहा लेने को प्रेरित किया
सामाजिक विषमता को दूर करने का आह्वान किया
चेतना की मशाल थमा कर देश में फैले अंधकार को दूर किया
मेरे इस रवैये को देखकर ब्रिटिशों ने मुझे बेड़ियाँ पहना दी
किंतु मैं निर्भीक रूप से गतिशील रहा देश के हर कोने हर हृदय में
विडम्बना तो तब हुई जब मुझे मेरे ही घर में उचित स्थान न मिला
उम्मीद थी कि मेरे योगदानों के महत्व को समझा जाएगा पर हुआ उल्टा
मुझे वर्तमान एवं भविष्य में उचित स्थान दो और
मेरे प्रतिबंधित रूप को प्रतिबद्ध स्वरूप में तब्दील करो।

‘प्रतिबंधित’ शब्द का अर्थ है निषेध का फरमान जो की एक प्रशासनिक कार्यवाही है जिसमें सरकारी व्यवस्था द्वारा किसी भी प्रकाशक, साहित्यकार, संगठन, पुस्तक इत्यादि को सरकार के अस्तित्व के प्रति खतरा देखकर उसे गैर कानूनी घोषित किया जाता है और उसके खिलाफ दमनात्मक कार्यवाही की जाती है। अतः प्रतिबंधित साहित्य से तात्पर्य उस साहित्य से है जिसे सरकार अपनी सत्ता के प्रति खतरा समझकर उस पर पाबंदी लगा देती है।

भारत का स्वाधीनता आंदोलन गांधी जी के भारत आगमन के पश्चात् अधिक तेज हो गया। इस आंदोलन में न केवल उच्च वर्ग के लोग शामिल थे अपितु निम्न वर्ग यथा- किसान, मजदूर और कारीगर भी स्वतंत्रता आंदोलन से

जुड़ रहे थे। आगे चलकर स्वाधीनता आंदोलन ने कई साहित्यकारों को भी प्रभावित किया। इन साहित्यकारों ने भारतीय जनमानस की भावनाओं को अपनी रचनाओं द्वारा स्पष्ट रूप में उजागर किया। परिणामस्वरूप स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला। इस संबंध में डॉ. विश्वमित्र उपाध्याय ने लिखा है- “इन साहित्यकारों ने जन भावनाओं को जनता की समझ में आने वाली करारी व ओजपूर्ण भाषा में अभिव्यक्त किया।...इन प्रकाशनों में संकलित कवितायें सभाओं और प्रदर्शनों में गाई और सुनाई जाने लगीं। ये गीत जनता में बहुत लोकप्रिय हुए और इनसे हमारे स्वाधीनता संग्राम को बल मिला।”-(1) इन साहित्यकारों के लेखों से तत्कालीन ब्रिटिश सरकार काफ़ी असमंजस में पड़ गई और उसने अनेक काव्य संग्रहों, लेखों, निबंधों इत्यादि को प्रतिबंधित कर दिया किंतु इन साहित्यकारों का काम चोट खाने के बावजूद जारी रहा। सरकार इनके जज़्बे और हौसले को रोक नहीं पाई।

लाहौर से प्रकाशित पत्रिका ‘अलंकार’ का दिसंबर 1934 का अंक प्रतिबंधित कर दिया गया क्योंकि इसमें ब्रिटिश विरोधी स्वर विद्यमान थे। समाज सुधार कार्यालय लखनऊ द्वारा प्रकाशित ‘भगवान गांधी’ में गांधी जी को मुक्तिदाता के रूप में सराहा गया। ‘दो माई के लाल पिंजरे में’ बी.एल. भार्गव द्वारा प्रकाशित चित्र है जिसमें भगतसिंह और सुखदेव के क्रांतिकारी योगदानों का चित्रण किया गया। ‘बुंदेलखंड केसरी’ पत्रिका में राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करने वाला लेख प्रकाशित हुआ। नवम्बर 1928 में ‘चाँद’ पत्रिका के फांसी अंक में शहीद क्रांतिकारियों के योगदान का गुणगान किया गया। ‘कांग्रेस बुलेटिन’ के लगभग दस अंक जब्त कर लिए गए। शम्भू नारायण दीक्षित ने ‘विद्यार्थियों’ के जरिए छात्रों को सत्याग्रह में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। ‘इन्कलाब जिन्दाबाद’ में स्वाधीनता आंदोलन का जोर शोर से आह्वान किया गया। ‘सत्याग्रह’ एवं ‘शंखनाद’ में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ़ हो रहे क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित निबंध छपे। इसी तरह ‘सरदार भगतसिंह’, ‘चन्द्रशेखर आजाद की जीवनी’, ‘भारत के दो महात्मा’, ‘स्वदेश’, ‘आजादी के शहीद’, ‘शनीचर’, ‘स्वराज्य कैसे मिलेगा’, ‘रणभेरी’, ‘स्वराज्य की गूंज’, ‘शहीदों के खूं का असर’, ‘भारत माता के जख्मी लाल’, ‘क्रांति गीतांजलि’,

‘राष्ट्रीय शंखनाद’, ‘राष्ट्रीय गीत’, ‘तूफान’, ‘स्वतंत्रता की देवी’, ‘प्रभात फेरी’, ‘सरोजिनी संदेश’, ‘देश का राग’, ‘आजादी की उमंग’, ‘संगीत सरोवर’, ‘सत्याग्रह गीतावली’, ‘मजदूर झंडे की प्रार्थना और आह्वान’ इत्यादि रचनाओं में ब्रिटिश विरोधी स्वर विद्यमान थे, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने उपरोक्त रचनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया।

प्रतिबंधित साहित्यकार कोई बड़े लेखक नहीं थे किंतु वे लोकप्रिय इसलिए थे क्योंकि वह अपनी रचनाएँ लोकभाषा में करते थे। उन्हें यह मालूम था कि उनके सृजन के खिलाफ़ ब्रिटिश हुकूमत विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाएगी फिर भी वे अपने कर्तव्य पथ पर अविचल होकर रचनाएँ करते रहे क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य था- भारत की आजादी। सरकार भी विरोधी प्रकाशनों को जब्त करती रही और साहित्यकारों को विभिन्न प्रकार की यतनाएँ देती रही।

हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि औपनिवेशिक काल में प्रतिबंधित हिन्दुस्तानी साहित्य ने भारतीयों में चेतना जगाने का भरपूर प्रयास किया किन्तु दुख की बात यह है कि आज के वर्तमान समय में हिंदी साहित्य जगत में प्रतिबंधित साहित्य को विशेष स्थान नहीं दिया गया। मैनेजर पाण्डेय के अनुसार- “हिंदी में प्रतिबंधित साहित्य के ऐतिहासिक महत्व पर विचार की प्रवृत्ति बहुत दुर्लभ है।”-(2) वर्तमान समय में हमारे देश के कई संग्रहालयों में अनेकों प्रतिबंधित हिन्दुस्तानी साहित्य की कृतियाँ धरी पड़ी हैं जिनपर कोई भी साहित्यकार अपनी नज़र नहीं फेरता। हिंदी साहित्य जगत में अपनी अनुपस्थिति को देखकर प्रतिबंधित साहित्य भी स्वयं से निम्नलिखित प्रश्न कर रहा होगा, यथा-

1. क्या मैं अन्य साहित्य से बेहतर नहीं हूँ?
2. मुझमें किस सच्चाई की कमी रह गई?
3. क्या मुझमें विश्वसनीय आँकड़ों की कमी है?
4. मुझे क्या सच बोलने और साहस दिखाने का दण्ड मिल रहा है?

उपरोक्त प्रश्नों से यह बात उभर कर सामने आती है कि जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा था तब प्रतिबंधित साहित्य का मूल्यांकन उचित ढंग

से नहीं किया गया। हिंदी में अनेक युग, वाद या विचारधाराएँ रही हैं, जैसे- भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद इत्यादि किंतु यहां प्रतिबंधित साहित्य का नामोनिशान तक देखने को नहीं मिलता जबकि इन्हीं युगों, वादों और विचारधाराओं के साथ प्रतिबंधित साहित्य ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध आवाज उठाकर भारतीय चेतना को जागृत करने का भरसक प्रयास किया। इसकी दशा ठीक वैसी ही हुई जैसे स्वतंत्रता के बाद हिंदी भाषा के साथ हुई। हिंदी भाषा को संविधान में दोयम दर्जा प्राप्त हुआ किंतु प्रतिबंधित सहित को न तो पहला दर्जा प्राप्त हुआ न ही आखिरी। मैनेजर पाण्डेय आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रतिबंधित साहित्य की अनुपस्थिति को स्वीकार करते हुए लिखा है- “यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के अन्तर्गत अंग्रेजी राज के दौरान प्रतिबंधित हिंदी साहित्य का कोई उल्लेख नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में उनके विश्लेषण और मूल्यांकन की उम्मीद कैसे की जाए?”-(3)

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने विभिन्न प्रकार के एक्ट लगाकर अनेकों हिन्दुस्तानी साहित्य को प्रतिबंधित किया और आगे चलकर हिंदी के तत्कालीन साहित्यकारों ने इसे उपेक्षा का दण्ड दिया। स्वाधीनता की चेतना और साम्राज्यवाद का विरोध इस साहित्य का मुख्य लक्ष्य था। यदि हमें तत्कालीन जनमानस की चेतना एवं स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख घटनाओं को समझना है तो हमें उससे पहले प्रतिबंधित साहित्य को समझना होगा। स्वतंत्रता पश्चात् विश्वमित्र उपाध्याय ने अपनी पुस्तक ‘भारतीय क्रांतिकारी आन्दोलन और हिन्दी साहित्य’ में प्रतिबंधित साहित्य को स्थान दिया। आगे चलकर रामजन्म शर्मा ने अपनी पुस्तक ‘जब्तशुदागीत आजादी और एकता के तराने’ एवं रुस्तम राय ने अपनी पुस्तक ‘प्रतिबंधित साहित्य’ में औपनिवेशिक काल में प्रतिबंधित हिन्दुस्तानी साहित्य को उचित स्थान दिया है। मैनेजर पाण्डेय का मानना है कि जिन लेखकों ने पाबंदी, मुकद्मा और जेल का खतरा उठाकर साहस के साथ ऐसी रचनाएं लिखी जो प्रतिबंधित थीं उनके महत्व की पहचान करना हिंदी आलोचना एवं आलोचकों का एक राष्ट्रीय दायित्व व कर्तव्य है।

औपनिवेशिक काल में प्रतिबंधित हिंदी साहित्य ने राष्ट्रीय चेतना फैलाने तथा राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के संदेश को भारतीयों तक पहुँचाने का सराहनीय कार्य किया किंतु फिर भी इसके महत्व को नहीं समझा गया और न ही इसे उचित स्थान मिला। इसके मुख्य कारण कुछ इस प्रकार हैं-

1. हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने इसे उपेक्षा के भाव से देखा।
2. जिस प्रकार की आलोचना भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद एवं अन्यवादों की हुई उस प्रकार की आलोचना प्रतिबंधित साहित्य को लेकर नहीं हुई।
3. साहित्यकारों द्वारा प्रतिबंधित साहित्य के कथ्य व शिल्प के महत्व को कम करके आंकना।
4. प्रतिबंधित साहित्य को लेकर उचित शोध न होना।
5. उचित मात्रा में प्रतिबंधित साहित्य से संबंधित पुस्तकों का प्रकाशन ना होना।
6. प्रतिबंधित साहित्य को लेकर राजनेताओं में दृढ़ इच्छाशक्ति की कमी।
7. हिंदी प्रदेश के कुछ लोगों की स्वार्थपरक मानसिकता।

उपरोक्त कारणों के वजह से प्रतिबंधित साहित्य को हिंदी साहित्य जगत में उचित स्थान नहीं मिल पाया है। किंतु समस्या का आलाप-विलाप करने से कुछ नहीं होने वाला। आवश्यकता है कि कुछ नए और ठोस कदम उठाने की। प्रतिबंधित साहित्य को हिंदी साहित्य में उचित स्थान दिलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए जा सकते हैं-

1. हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता है जिसके जरिए विभिन्न युगों और विभिन्नवादों के समानांतर प्रतिबंधित साहित्य को भी उचित स्थान मिल पाएगा।
2. अतीत में हमारे आलोचकों ने रचनाएँ तो श्रेष्ठ की किंतु एक-दूसरे के ऊपर उंगली उठाने के चक्कर में प्रतिबंधित साहित्य का मूल्यांकन करना भूल गए। यह तो रही इतिहास की बात किंतु वर्तमान समय के हिंदी आलोचक

एवं साहित्यकार भी अतीत के आलोचकों का अनुसरण करते हुए विभिन्न खेमों व वादों में बंटे हुए हैं जबकि वर्तमान हिंदी साहित्य व हिंदी जाति की यही मांग है कि हिंदी प्रदेश एकजुट हो। ऐसा होने से प्रतिबंधित साहित्य की उचित व तर्कसंगत समीक्षा की जा सकेगी।

3. हिंदी दिवस, विश्व हिंदी सम्मेलन एवं अन्य राष्ट्रीय संगोष्ठियों में प्रतिबंधित साहित्य को थीम बनाकर चर्चा की जानी चाहिए ताकि उभरते हिंदी साहित्यकार इस विषय पर विचार विमर्श कर इस पर अपनी कलम चलाएं।
4. विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी साहित्य में भारतेन्दु, द्विवेदी, प्रेमचंद इत्यादि साहित्यकारों पर लाखों शोध कार्य हो चुके हैं किंतु प्रतिबंधित साहित्य से संबंधित शोध कार्य शायद ही हुआ हो। अतः समय की मांग है कि प्रतिबंधित हिन्दुस्तानी साहित्य पर भी शोध कार्य हो ताकि आगे चलकर इस साहित्य का विषय क्षेत्र भी समृद्ध और विकसित हो सके।
5. प्रतिबंधित साहित्य से संबंधित पुस्तकें बहुत ही कम मात्रा में लिखी गई हैं इसलिए वर्तमान साहित्यकारों विशेषतः युवा लेखकों को अपनी कलम के जरिए औपनिवेशिक काल में प्रतिबंधित हिन्दुस्तानी साहित्य की दशा और दिशा तय करनी चाहिए।
6. केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा प्राइवेट संस्थानों को भी आपस में सहभागिता के जरिए प्रतिबंधित हिन्दुस्तानी साहित्य से संबंधित विभिन्न संगोष्ठियां करवानी चाहिए।
7. लोगों को विशेषकर हिंदी जाति के लोगों को प्रतिबंधित साहित्य के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाकर उसके विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

उपरोक्त समाधान प्रतिबंधित हिन्दुस्तानी साहित्य को उचित न्याय दिलाने में कारगर सिद्ध होंगे जिससे निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिलेंगे-

- i. प्रतिबंधित साहित्य के जरिए हिंदी क्षेत्र में विविधता आएगी जिसके परिणामस्वरूप हिंदी भाषा, हिंदी, साहित्य व हिंदी जाति की समृद्धि और विकास संभव हो सकेगा।

- ii. प्रतिबंधित साहित्य को यदि हिंदी साहित्य आत्मसात करती है तो हिंदी का अखिल भारतीय स्वरूप और अधिक अच्छे स्वरूप में निखर कर सामने आएगा।
- iii. यदि प्रतिबंधित साहित्य को हिंदी साहित्य में उचित स्थान मिलेगा तो प्रतिबंधित साहित्य एवं उससे जुड़े साहित्यकारों के साथ न्याय हो सकेगा।
- iv. वर्तमान समय में हिंदी की दशा और दिशा का निर्धारण हिंदी जाति की चेतना द्वारा संभव है। यह चेतना तभी आएगी जब हिंदी जाति प्रतिबंधित साहित्य का उचित मूल्यांकन करेगी।
- v. हमारा देश भारत एक गणतांत्रिक देश है जहाँ न्याय, समानता को अधिक महत्व दिया गया है। यदि इन मूल्यों को हिंदी के क्षेत्र में देखें तो भारतेन्दु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला, प्रेमचंद, रामविलास शर्मा इत्यादि साहित्यकारों को न्याय और समानता के साथ स्थान दिया गया है। समय की मांग है कि हिंदी के क्षेत्र में प्रतिबंधित साहित्य के साथ भी समानता और न्याय हो।
- vi. प्रतिबंधित हिन्दुस्तानी साहित्य ने अंग्रेजों के कुकृत्यों का भंडाफोड़ किया था यदि इस बात को समझकर आज के लेखक प्रेरणा प्राप्त करें तो वे वर्तमान समय में हो रहे भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, बाल शोषण, बलात्कार, लालफीताशाही इत्यादि मुद्दों पर अपने स्वर को बुलंद कर सकते हैं। उन्हें प्रतिबंधित साहित्यकारों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है।

अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रतिबंधित हिन्दुस्तानी साहित्य हमारे राष्ट्रीय साहित्य की अमूल्य निधि है। इन जन साहित्यकारों ने जितनी हिम्मत एवं स्पष्टता से क्रांतिकारियों की सरहाना की है और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठायी है तत्कालीन साहित्यकार उतनी हिम्मत न जुटा सके। इसलिए जरूरी है कि प्रतिबंधित साहित्य के महत्व को समझकर उस पर गंभीरता के साथ काम हो।

संदर्भ सूची-

1. उपाध्याय डॉ. विश्वामित्र, भारतीय क्रांतिकारी आन्दोलन और हिंदी साहित्य, प्रगतिशील जन प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण- 1989, पृ. सं. 275.
2. यह किताब क्यों और कैसे? लोकगीतों और गीतों में 1857, संकलन और संपादन- मैनेजर पाण्डेय, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, दूसरा संस्करण- 2015, नई दिल्ली, पृ. सं. 28.
3. द्विवेदी देव नारायण, भूमिका, मैनेजर पाण्डेय, देश की बात, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण- 2013, पृ. सं. 08.